सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

08 नवम्बर, 2023

सप्तदश विधान सभा बुधवार, तिथि 08 नवम्बर, 2023 ई0

दशम सत्र 17 कार्तिक, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय -11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । आप बैठिए, कृपया स्थान ले लीजिए । स्थान लीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है महोदय, क्या हो रहा है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप पहले स्थान तो ग्रहण कीजिए । सदन को व्यवस्थित कीजिए । बैठिए न, आप क्या तख्ती दिखला रहे हैं बैठिए । आप तो देने के लिए कागज दे देते हैं और पढ़ना जो चाहते हैं वह कागज ही आपके पास नहीं रहता है । माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कल...

(व्यवधान)

अब आप आसन को डायरेक्शन मत करिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप सदन के संरक्षक हैं, सदन की गरिमा बरकरार रहे महोदय, कोई भी सदन के अंदर वैसे असंसदीय शब्द या उस तरह का वक्तव्य जिससे सदन

को कहीं न कहीं शर्मसार होना पड़ता है । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वक्तव्य कल दिए हैं उनके सत्ता पक्ष की महिलाएं भी सर को झांपे हुए रहीं पूरी महिला का अपमान किए हैं । महिलाओं का, यह मां जानकी की धरती है महोदय, यह शक्ति की भूमि को लज्जित किए हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। वे मेंटल हो चुके हैं...

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए । नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार की कुर्सी नहीं संभाल सकता...

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : और उपमुख्यमंत्री कहते हैं कि सेक्स...

अध्यक्ष : नहीं, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये देख लीजिए जरा तमाशा...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, ये शोभा नहीं देता । माननीय...

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप बोलिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री कल जन्म दर नियंत्रित करने के संबंध में कुछ बात कह रहे थे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर उसमें कोई ऐसी बात हो गई है जिससे महिलाओं के अपमान या उनकी भावना पर किसी तरह की ठेस पहुंची है तो मुख्यमंत्री जी ने उस वक्तव्य को वापस ले लिया है, उसके लिए खेद प्रकट किया है और अब आसन से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आप भी प्रोसीडिंग देख लीजिए, अगर उसमें कोई असंसदीय शब्द है तो आप बाहर कर दीजिए । मुख्यमंत्री

जी ने तो खेद प्रकट कर दिया है और ये बोलें और आ जाएं बीच में हम बोलें आ जाएं बीच में, यह कौन तरीका है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, यह शोभा नहीं देता है और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खेद प्रकट किया है और मैं दिखवा लूंगा ये प्रोसीडिंग, उसमें अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो उसको नियमानुसार मैं उसमें से हटवा दूंगा । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने-अपने स्थान पर जाएं ।

(व्यवधान जारी)

आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप तमाम जाएं । माननीय...

(व्यवधान जारी)

नेता प्रतिपक्ष । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बुलाइये इन लोगों को । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं, आपने सवाल उठाया है, सरकार स्वयं खड़ी है ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अगर मेरी किसी बात को लेकर के आपत्ति है तो कृपा करके बैठ जाइये और मैं सफाई दे देता हूं । बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । मुख्यमंत्री जी...

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अरे भाई, हम माफी मांगने को तैयार हैं, बैठिएगा तब न ।

अध्यक्ष : आप बैठिए, जगह लीजिए । जगह लीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । नेता प्रतिपक्ष, आप उनलोगों को बुलाइए न, आप इसीलिए न उठाए हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ कहें । आप उनलोगों को बुलाइए ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : यह कौन सा तरीका है कि नेता प्रतिपक्ष बोलें तो सब लोग बैठ जाएं, ये बोलें तो सब बैठ जाएं और सदन नेता बोलें तो यह तमाशा देख लीजिए । यही इन लोगों का प्रजातांत्रिक तरीके में विश्वास है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । लगता है कि लोकतंत्र में आप लोगों को इत्मीनान और विश्वास नहीं है । आप अपने-अपने स्थान को ग्रहण कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखना चाहते हैं इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें । नेता प्रतिपक्ष से मैं चाहूंगा कि आप स्थान ग्रहण करावें माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जिस सवाल को आपने उठाया है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो वक्तव्य दिए और उपमुख्यमंत्री सेक्स ज्ञान बांट रहे हैं बिहार को शर्मसार किया है । मुख्यमंत्री जी की उम्र हो गयी है, याददाश्त भी कमजोर हो गया है...

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : इनको इस्तीफा देना चाहिए । यह व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है । बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : बिहार की महिलाओं का...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको यह अधिकार नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगने का आपको अधिकार नहीं है, बिहार की जनता इनमें विश्वास करती है । माननीय नेता संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप सुनिए, आप सब क्यों बिना मतलब के हल्ला कर रहे हैं । हम तो आपको बता देते हैं । हम आप लोगों का देख रहे हैं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : तख्ती छीन लीजिए, तख्ती छीन लीजिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : तख्ती छीन लीजिए...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : और सब यहां पर एकजुट थे । सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया । एक-एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से और आप जानते हैं कितना ज्यादा हमलोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में जनसंख्या कितनी पहले की तुलना में घट गई तो यह बड़ी खुशी की बात है और जब लड़का-लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2 और बिहार में भी हमलोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2 और अगर देशभर में मैट्रिक से भी ज्यादा पति-पत्नी में पत्नी है तो...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठाइए न । मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उन लोगों को बैठवाइए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की की...

अध्यक्ष : आप तो दो-दो बार बोल दिए अब क्या बोलिएगा ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : तो उसमें प्रजनन दर 1.6 और इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले और उसको भी हमने महिलाओं पर जोर दिया और इतनी ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं...

(क्रमशः)

टर्न-2/सुरज/08.11.2023

(क्रमशः)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कही है, अगर मेरी किसी बात को ले करके तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : मैं अपनी बात को वापस करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शर्म करें मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिये दु:ख प्रकट कर रहा हूं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में हूं और जितना काम किया गया है, जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है आप समझिये 50 की जगह हमलोग जो 65 परसेंट दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों को इसका लाभ मिलेगा । तो सारी बातें कर दी गयी और कल एक-एक चीज तय हो गयी । लेकिन अब इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और आपलोग कल सहमत थे । लेकिन आपलोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिये है तो मैं उस शब्द को वापस करता हूं और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप जान लीजिये जो राज्य के हित में काम हुआ है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, आपका बड़प्पन है...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : राज्य के हित में इतना बड़ा काम हुआ है, कल ही कर दिया गया है और सारे कानून आ रहे हैं और सब कर दिया जायेगा, लोगों को सुविधा दी जायेगी...

अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, आपका बड़प्पन है । कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह से अपनी निंदा नहीं किया है । ये लोग निंदनीय हो गये । इसलिये आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम तो वापस ले लिये, अब क्या बोल रहे हैं । हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये । प्रश्नकाल होने दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

जो माननीय सदस्य टेबुल और कुर्सी निकालते हैं उनका नाम नोट कीजिये । नियमानुसार मैं उन्हें सदन से बाहर करूंगा । आपलोग जनता का काम नहीं करना चाहते हैं यही मैसेज जा रहा है ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/राहुल/08.11.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या-43 है ।

(व्यवधान)

आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग को लेता हूं जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटिन मुखबंध द्वारा किया जायेगा । इसके लिए कुल 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	-	58 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)	-	09 मिनट

(व्यवधान)

क्या हो रहा है ? आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं क्या ? यह कोई तरीका है

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0)	-	02 मिनट
सी0पी0आई0	-	02 मिनट

ए0आई0एम0आई0एम0	-	01 मिनट
कुल	-	180 मिनट

हम तो आपको समय का आवंटन सुना रहे हैं...

(व्यवधान)

क्या एक मिनट, काहे को, आपका समय है उस पर आपको बुलायेंगे आप बोलेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

आपको समय दिये हैं नेता प्रतिपक्ष, आप समय पर बोलियेगा ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''शिक्षा विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए दिनांक-31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबंध के अतिरिक्त 7672,50,27,000/- (सात हजार छः सौ बहत्तर करोड़ पचास लाख सत्ताईस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री प्रेम कुमार से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी का प्रस्ताव प्रथम है । अतः माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(व्यवधान जारी)

मैं माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी से आग्रह करता हूं कि अपना कटौती प्रस्ताव मूव करें...

(व्यवधान जारी)

आप इनकी तख्ती को ले लीजिये । तख्ती लीजिये...

(व्यवधान जारी)

आप वेल से जाइये अन्यथा सदन को अव्यवस्थित करना चाहेंगे तो मैं नियमानुसार आप लोगों को सदन से बाहर करूंगा...

(व्यवधान जारी)

यहां से हटते हैं कि नहीं ? इनको बाहर निकालिये । चलिये यहां से । आपकी यह हिम्मत है, काबिल बन रहे हैं ? बहुत ज्यादा जानकार हो, संसदीय व्यवस्था के बहुत जबर्दस्त जानकार हो ? जनता की भलाई के लिए आप लोग कोई काम नहीं करना चाहते हैं । यही आपकी जिम्मेवारी है...

(व्यवधान जारी)

ये यहां आयेंगे ? इनको हटाइये । हटिये । मैंने आपको बोलने के लिए समय आवंटित किया है...

(व्यवधान जारी)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने सदस्यों को व्यस्थित रहने के लिए कहिये, वे आसन पर जायें मैं आपको समय देता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, पहले इन लोगों को आसन पर भेजिये । इन्हें कहिये आसन पर जायें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, फिर आप सरकार को भी समय दीजियेगा ।

अध्यक्ष : आप जाइये न, अपना स्थान ग्रहण कीजिये । संसदीय व्यवस्था में यही कीजियेगा, हम लोग मेंबर नहीं रहे हैं क्या ? यह तरीका है, तमतमा जाते हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से वापस अपने-अपने स्थान पर चले गये)

जो भी मेरा संसदीय जीवन है इस तरह की व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी। आप लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है । बिहार की जनता की समस्या का समाधान भाजपा वाले अब करना ही नहीं चाहते हैं । अब नेता विरोधी दल ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,...

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय,..

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अब देखिये क्या कर रहे हैं...

अध्यक्ष : आप बैठाइये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आप बैठाइये न । आपके कंट्रोल में सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र बैठिये । मेरे कंट्रोल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों को रहना चाहिए लेकिन अव्यवस्था प्रकट करके और नेता प्रतिपक्ष होकर के आप स्वयं वेल में आ जाते हैं यह बहुत निंदनीय है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन का बहुत सम्मान करता हूं और मुझे संविधान में विश्वास है । मैं संवैधानिक संस्था में और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान करता हूं । अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक पद पर बैठे लोग जब अपनी सीमा तोड़ते हैं तब मुझे भी अपनी सीमा तोड़कर जाना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, मेरे वक्तव्य में आसन से हमेशा विपक्ष को, मैं भी उस आसन पर रहा हूं महोदय, आसन का सम्मान करने का मुझे ज्ञान है और सभी सदस्यों का, विधायिका का भी सम्मान करने का ज्ञान है लेकिन आसन कभी उग्र नहीं होता है...

अध्यक्ष : बहुत आदर करते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : यही दिक्कत है । XXX

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये । आप लोग बैठिये, बैठिये । माननीय सदस्य आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अब बोलने नहीं देंगे...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अश्लील भाषा, सेक्स एजुकेशन की बात कही क्या सेक्स एजुकेशन...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये । आप स्थान ग्रहण कीजिये । संसदीय व्यवस्था को तार-तार करने में नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी से अलग हटकर बात करते हैं...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आप इस तरह की भाषा बोलकर गरिमा गिरा रहे हैं...

अध्यक्ष : नहीं । मैं नहीं गिरा रहा हूं, आप गिरा रहे हैं । ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए । ये सेक्स एजुकेशन...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : इस तरह का माहौल खड़ा करना संसदीय परंपरा में नहीं है लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित किया गया है । उप मुख्यमंत्री...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब हम सिर्फ इतना कह रहे हैं...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अब हमको बोलने नहीं दीजियेगा ।

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी आप बैठ जाइये इनको बोलने दीजिये । जो बोलना चाहिए वही बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, संयम से लोकतंत्र का सम्मान बढ़ता है और नेता प्रतिपक्ष को शब्दों के जाल में हतोत्साहित, डेमॉरलाईज करने का काम सत्ता पक्ष का हो सकता है आसन का नहीं । आसन का सम्मान, सबका विश्वास आसन पर होता है और आपको सर्वसम्मति से...

(व्यवधान)

आसन को तो आप ही बूट से रौंदे थे, आसन पर चढ़कर के बूट रौंदे थे आज तक आप लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई ।

क्रमशः

टर्न-4/मुकुल/08.11.2023

(व्यवधान)

क्रमशः

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : मैं अध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय सदस्यों का कहना है, आपने भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षमा मांगी, खेद व्यक्त किया लेकिन महोदय, यह बिहार के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है । महोदय, लोकतंत्र के इस मंदिर में क्या सेक्स एजुकेशन की बात करना उचित है । उप मुख्यमंत्री ने सेक्स एजुकेशन की बात कही...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता विरोधी दल, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको क्षमा मांगनी चाहिए ।

अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, इस्तीफा मांगने का आपका कोई औचित्य नहीं बनता है ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ये भी क्षमा मांगें और ये खेद व्यक्त करें ।

अध्यक्ष : माननीय नेता विरोधी दल, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, इनको भी क्षमा मांगनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : देखिये, यही इनका हाल है । आप विपक्ष के भी कार्यों को करने नहीं देते हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये बोलेंगे लेकिन दूसरे को नहीं बोलने देंगे ।

अध्यक्ष : विपक्ष अपना काम करना चाहती है लेकिन नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के भी सदस्यों के जो कार्य हैं उनको नहीं करने देते हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा । महोदय, आप तो मेरी तरफ देखिए, ये लोग तो नहीं देखते हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, मैं आपको देखता हूं और नेता प्रतिपक्ष को भी देख रहा हूं कि इन्होंने कहा था कि बैठायेंगे कि सदस्यों को ऐसे-ऐसे करते रहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमको तो यह लगा कि उन्होंने कह दिया कि वे आपके आसन पर रहे हैं इसलिए आप उनकी बातों को ज्यादा सुनते हैं तो हम तो सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके और उनके पहले हम भी 5 साल

उस आसन पर रहे हैं इसलिए हम अपनी बातों को कहना चाहते हैं । पहली बात आसन पर आक्षेप लगाते हुए उन्होंने जो बात कही है उसको प्रोसीडिंग से निकलवा दीजिए, सीधे निकलवा दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : विपक्षी दल के नेता ने जो बातें कही हैं वह प्रोसीडिंग का अंश नहीं बनेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने खुद वापस ले लिया और खेद भी प्रकट कर दिया तो अब कल जिस समय वह बोले थे, उस समय इनको खराब नहीं लगा था । जब रात में इनको दिल्ली से डांटा गया है कि तुमलोग सदन में क्या करते हो तब आज इनको अचानक गुस्सा लगा है, आज इनको लग रहा है कि कल खराब बात हो गई । महोदय, आप जरा हमको देखिए, आप देखते हैं तो हमें कहने की हिम्मत होती है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : हम आपको देखते हैं तो वह जमाना याद आ जाता है जब आप इस आसन पर बैठे थे और जब इनको देखते हैं तो लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की क्या जिम्मेवारी है इनको इसकी जानकारी ही नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अब हम एक बात कहना चाहते हैं कि वही बात कल इनको खराब नहीं लगी थी, लेकिन तीन बात है न कि जातीय गणना बिल्कुल सफलता से संपन्न हो गई, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े/अति पिछड़े की आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई, नौजवानों को लाखों-लाख नौकरियां मिल रही हैं, इन सब चीजों को देखकर इनके आलाकमान इतने विचलित हो गये हैं कि इनलोगों को रात में बड़ी जोर डांट लगाई गई है, बड़ी जोर से डांट पड़ी है कि तुमलोग बैठकर क्या करते हो, किसी तरह से सदन नहीं चलने दो तो ये लोग तो बेचारे हैं, हुक्म पर चलते हैं और हमारी भी सहानुभूति इनके साथ है कि कल इनको खराब नहीं लगा था, आज खराब लग रहा है । महोदय, हम यही कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मैं पुनः माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव मूव करें । माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह जी ।

(व्यवधान जारी)

इसी में समय चला जायेगा, क्या आपलोगों की इच्छा है कि सदन नहीं चले ।

(व्यवधान जारी)

राम सूरत बाबू, आप तनिक कम हाथ उठाइये । इन लोगों को बिहार की जनता की समस्याओं के निदान की कोई चिंता नहीं है । इसलिए अब सदन की कार्यवाही 4.50 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

XXX - अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

टर्न-5/यानपति/08.11.2023

(स्थगन के उपरांत)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय सदस्यगण कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ इसलिए मूल प्रस्ताव पर ही अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री चंद्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने संपूर्ण भारत वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको तो जिम्मेदारी मिल गई है, आप चेयर के आदमी नहीं हैं, आप लॉबी के आदमी हैं ।

श्री चंद्र शेखर, मंत्री : और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, उससे विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है । सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी शिक्षा के प्रति जो समर्पण भाव था, आज उनका आर्शीवाद है, उस आर्शीवाद से मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जो ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है, आरक्षण में 75 प्रतिशत की उपलब्धि, मैं इसमें कहना चाहता हूं राजकवि दिनकर साहब ने कहा है कि

''कौन विघ्न है ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में,
खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़,
मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है ।''

मानीनय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करना चाहिए विपक्षियों को । महोदय यह मील का पत्थर है । एक लाख से ऊपर की बहाली, 1 लाख 9 हजार 444 शिक्षकों की एक साथ बहाली हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि संपूर्ण देश ही नहीं शिक्षा जगत में, संपूर्ण विश्व में मैं तो कहूं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए कि एक साथ 1 लाख 9 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक होती है महोदय और विश्वविद्यालय में हजारों नियुक्तियां होनेवाली हैं महोदय और विरोधी को, इनको तो कुछ सूझता नहीं है, ये संघवाद, संप्रदायवाद, नफरतवाद को परोसना चाहते हैं महोदय । यह जो इनके पेट में दर्द हो रहा है यह स्वाभाविक है क्योंकि एक साथ

इतनी बड़ी उपलब्धि सामाजिक न्याय के पक्ष में महात्मा फुले, पेरियार, अंबेडकर की श्रेणी में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नाम शुमार होगा और इतिहास याद रखेगा । जबतक यह दुनिया जिंदा रहेगी, जबतक धरती जिंदा है तबतक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नाम यहां इस विश्व के आकाश में तैरता रहेगा । शिक्षा के क्षेत्र में एक कार्य नहीं हुआ है, हम आपको बताना चाहते हैं महोदय कि अद्‌भुत कार्य हो रहे हैं । मसलन पिछले समय में जो निर्णय हुआ है प्रखंड स्तर पर बाबा साहब अंबेडकर आवासीय विद्यालय 730 बेड का बनना है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी मील का पत्थर साबित होगा । बापू सभागार हो, अशोका कन्वेंशन हॉल हो, चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी हो, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो चाहे हमारा तपोवन हो, नालंदा खुला विश्वविद्यालय हो, चीख-चीखकर कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई अमिट हस्ताक्षर है उसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है । मैं आपसे कहना चाहता हूं महोदय, आपको यह जानकर, सदन को यह जानकर खुशी होगी कि आज बिहार सरकार ने एक साथ 20 हजार बच्चों को एक साथ बैठने के लिए, परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन का निर्माण कराया है । तीन चरण में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक बनना है महोदय । एक साथ 20 हजार बच्चों को परीक्षा में बैठाने की कुवत बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग कर रही है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह शिक्षा भवन प्रत्येक जिला में बनाई जाएगी । प्रत्येक जिला का मतलब हमारी जो कई तरह की परीक्षाएं होती हैं, चुनाव होता है, पंचायत चुनाव हो चाहे विधान सभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चुनावों में शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य बाधित रहते हैं उसके चलते बिहार सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है, प्रत्येक जिला में परीक्षा भवन बनना है । इन लोगों के पेट में दर्द क्यों नहीं हो, जो डिमांड था, ये लोग कहते हैं, हल्ला करते हैं, जुमला पढ़ते हैं चाहे 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी का मामला हो, चाहे किसानों की आय को 2022 तक दुगुनी करनी हो, बताएं कि 22 आया या आनेवाला है । महोदय, पता नहीं इनलोगों को कितना पेट में दर्द होगा, सीमा-सरहद की चौकसी का मामला हो 13 सौ कि0मी0 अरुणाचल के डोकलाम में चीन ने अपना भूमि कब्जा कर लिया है, 56 इंची कहां है महोदय, 56 इंची देशवासी खोज रहे हैं । दिल्लीवाला नहीं है, सीमा-सरहद का वही हाल, नौकरी-बेरोजगारी का वही हाल, किसानों का वही बुरा हाल । महोदय, सिर्फ और सिर्फ दो आदमी बेचनेवाला और दो आदमी खरीदनेवाला

है । तड़ीपार संचालित कर रहे हैं और अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं । 12 लाख करोड़ रुपया जो बिल्कुल वापसी हो सकती थी राशि वह माफ किया गया महोदय । ऐसे तो लगभग 16 लाख करोड़ रुपया चंद मित्रों का माफ किया गया है । मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को जो हमारी व्यय विवरणी है, जो हमारा प्रस्ताव है सदन सर्वसम्मति से पास करेगा फिर बिहार शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यह प्रस्ताव रखता हूं और लिखित वक्तव्य टेबल करता हूं । मैं सदन से आग्रह करता हूं कि प्रस्ताव को पास करें ।

(माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का वक्तव्य-परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : टेबल कर दीजिए । अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । माननीय सदस्यगण, कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ है इसलिए अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ''शिक्षा विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 के उपबन्ध के अतिरिक्त 7672,50,27,000 (सात हजार छः सौ बहत्तर करोड़ पचास लाख सत्ताईस हजार रुपये) से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । मांग स्वीकृत हुई ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सदन के संचालन के लिए जो सहयोग दिए हैं उन माननीय सदस्यों के जो शून्यकाल थे और ध्यानाकर्षण थे, उनको पढ़ा हुआ मानकर विभाग को भेज देने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटीन के माध्यम से लिये जाएंगे। प्रश्न यह है कि

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग

(संख्या-2) अधिनियम, 2023 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

मांग संख्या-01, कृषि विभाग के संबंध में 177,69,30,000/-
(एक सौ सतहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार) रुपये

मांग संख्या-02, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 91,53,73,000/-
(इक्यान्वे करोड़ तिरपन लाख तिहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या-03, भवन निर्माण विभाग के संबंध में 785,36,88,000/-
(सात सौ पचासी करोड़ छत्तीस लाख अठ्ठासी हजार) रुपये

मांग संख्या-04, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 47,89,000/-
(सैंतालीस लाख नवासी हजार) रुपये

मांग संख्या-06, निर्वाचन विभाग के संबंध में 10,00,00,000/-(दस करोड़) रुपये

मांग संख्या-07 निगरानी विभाग के संबंध में 25,00,000/-
(पच्चीस लाख) रुपये

मांग संख्या-08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 38,62,40,000/-
(अड़तीस करोड़ बासठ लाख चालीस हजार) रुपये

(क्रमशः)

टर्न-6/अंजली/08.11.2023

(क्रमशः)

माँग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 156,54,77,000/-
(एक सौ छप्पन करोड़ चौवन लाख सतहत्तर हजार) रुपये

माँग संख्या-10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 219,30,65,000/-
(दो सौ उनीस करोड़ तीस लाख पैंसठ हजार) रुपये

माँग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 1,10,01,000/-
(एक करोड़ दस लाख एक हजार) रुपये

माँग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 3340,61,00,000/-
(तीन हजार तीन सौ चालीस करोड़ इकसठ लाख) रुपये

माँग संख्या-17 वाणिज्य कर विभाग के संबंध में 17,37,01,000/-
(सत्रह करोड़ सैंतीस लाख एक हजार) रुपये

माँग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 550,04,43,000/–
(पाँच सौ पचास करोड़ चार लाख तैंतालीस हजार) रुपये
माँग संख्या–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 55,32,97,000/– (पचपन करोड़ बत्तीस लाख सन्तानवे हजार) रुपये
माँग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 1625,33,34,000/–
(एक हजार छः सौ पच्चीस करोड़ तैंतीस लाख चौंतीस हजार) रुपये
माँग संख्या–22 गृह विभाग के संबंध में 702,43,63,000/–
(सात सौ दो करोड़ तैंतालीस लाख तिरसठ हजार) रुपये
माँग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में 366,12,62,000/–
(तीन सौ छियासठ करोड़ बारह लाख बासठ हजार) रुपये
माँग संख्या–25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 24,00,00,000/–
(चौबीस करोड़) रुपये
माँग संख्या–26 श्रम संसाधान विभाग के संबंध में 17,81, 13,000/–
(सत्रह करोड़ इक्यासी लाख तेरह हजार) रुपये
माँग संख्या–27 विधि विभाग के संबंध में 65,92,53,000/–
(पैंसठ करोड़ बानवे लाख तिरपन हजार) रुपये
माँग संख्या–29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 3,33,00,000/–
(तीन करोड़ तैंतीस लाख) रुपये
माँग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 29,04,000/–
(उनतीस लाख चार हजार) रुपये
मांग संख्या–31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 2,00,000/– (दो लाख) रुपये
माँग संख्या–32 विधान मंडल के संबंध में 6,55,90,000/–
(छः करोड़ पचपन लाख नब्बे हजार) रुपये
माँग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 37,85,20,000/–
(सैंतीस करोड़ पचासी लाख बीस हजार) रुपये
माँग संख्या–35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 9,97,000/–

(नौ लाख सन्तानवे हजार) रुपये

माँग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 465,18,00,000/– (चार सौ पैंसठ करोड़ अठारह लाख) रुपये

माँग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1500,00,00,000/–

(एक हजार पाँच सौ करोड़) रुपये

माँग संख्या–38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 79,16,00,000– (उनासी करोड़ सोलह लाख) रुपये

माँग संख्या–39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 40,37,54,000/–

(चालीस करोड़ सैंतीस लाख चौवन हजार) रुपये

माँग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 13,30,64,000/–

(तेरह करोड़ तीस लाख चौंसठ हजार) रुपये

माँग संख्या–41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 750,00,01,000/–

(सात सौ पच्चास करोड़ एक हजार) रुपये

माँग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 1287,02,23,000/–

(एक हजार दो सौ सतासी करोड़ दो लाख तेईस हजार) रुपये

माँग संख्या–43 विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 49,50,01,000/– (उनचास करोड़ पचास लाख एक हजार) रुपये

माँग संख्या–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 80,00,00,000/– (अस्सी करोड़) रुपये

मांग संख्या–45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 75,05,000/–

(पचहत्तर लाख पाँच हजार) रुपये

मांग संख्या–46 पयर्टन विभाग के संबंध में 33,78,34,000/–

(तैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख चौंतीस हजार) रुपये

मांग संख्या–47 परिवहन विभाग के संबंध में 31,71,66,000/–

(इक्तीस करोड़ ईकहत्तर लाख छियासठ हजार) रुपये

मांग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 4276,05,87,000/–

(चार हजार दो सौ छिहत्तर करोड़ पाँच लाख सत्तासी हजार) रुपये

मांग संख्या-49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 256,71,17,000/-

(दो सौ छप्पन करोड़ ईकहत्तर लाख सत्रह हजार) रुपये

मांग संख्या-50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 10,00,00,000/-

(दस करोड़) रुपये

मांग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 1094,53,23,000/-

(एक हजार चौरानवे करोड़ तिरेपन लाख तेईस हजार) रुपये

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं इसलिए आपके माध्यम से, सदन से दरख्वास्त कर रहा हूं इसे स्वीकृति देने के लिए कि अभी ही थोड़ी देर पहले हमारे साथी मंत्री, डॉ0 चंद्रशेखर जी ने शिक्षा विभाग की मांग जो 2.00 बजे रखी थी, उसको सदन ने स्वीकृत किया है और उसके साथ सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित 50 मांगों को यानी कुल 51 मांगों को आज सदन ने आपके सामने स्वीकृति दी है । सवाल है यह तो सरकार की इच्छित योजनाओं या हमारा जो विभिन्न विभागों के विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने की संभावना जो सरकार ने आकलन किया है उसकी स्वीकृति सदन दे चुका है । अब उन्हीं स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब तो हमें राशि चाहिए । जिन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हमें सदन दे चुका है इसके लिए राज्य की संचित निधि से, जो राज्य का खजाना है हम उतनी ही राशि विनियोग करना चाहते हैं कि अगर सदन हमें इजाजत दे देगा तो सदन द्वारा स्वीकृत योजनाओं का हम क्रियान्वयन सदन की इच्छा के मुताबिक कर सकें, इसलिए हमने यह विनियोग विधेयक लाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सदन ने, हमारी सरकार ने जो योजनाएं प्रस्तावित की थीं उसकी स्वीकृति दे चुकी है । इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी उम्मीद है कि सदन हमारे इस विधेयक को भी स्वीकृत करेगा और महोदय, इस विनियोग में जो हमने राशि के आंकड़े दिये हैं, जो आय-व्ययक, हमने जो द्वितीय अनुपूरक पेश किया था, आप देखेंगे कि उसमें लगभग 26 हजार 86 करोड़ का हमने दिया है । महोदय, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब फरवरी में हमलोग सामान्य बजट आकलन प्रस्तुत करते हैं उसके बाद

ज्यों-ज्यों समय बीतता है तो विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में एक समय आता है जब कुछ पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस होती है । (क्रमशः)

टर्न-7/सत्येन्द्र/08-11-2023

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री (क्रमशः) कुछ विभाग पैसा सरेंडर करता है और कुछ विभाग नई योजनाओं को जो सरकार लागू करती है, कभी जनहित में, कभी गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाओं को बनाती है उसके क्रियान्वयन के लिए राशि की आवश्यकता होती है । किसी विभाग में अधिक हो जाती है तो उसी को संतुलित करने के लिए आप देखियेगा कि इस 26 हजार करोड़ में हमलोग करीब 42 हजार 47 करोड़ रू0 प्रत्यर्पित भी कर रहे हैं । मतलब सरेंडर भी कर रहे हैं जिस विभाग में कम खर्च होने की संभावना है या पहले की बची हुई राशि और इसी में 637 करोड़ रू0 जो बी0सी0एफ0 एडवांस विभिन्न विभागों में जो आपातकालीन खर्च होते हैं, उसकी पूर्त्ति के लिए जो हमने निकाले थे उसको भी हम इसमें सामंजित करेंगे इसलिए महोदय ये राशि का मतलब व्योरा है कि हम कितना राशि चाह रहे हैं, कितना प्रत्यर्पित कर रहे हैं, कितना बी0सी0एफ0 एडवांस को सामंजित करेंगे । सिर्फ एक बात और बतलाकर महोदय, मैं सदन से अंतिम अपील इसकी स्वीकृति के लिए करूंगा कि मुझे ये जो लाना पड़ा है, केन्द्र के कारण राज्य सरकार पर या हमलोगों पर कितना ये दवाब बोझ बढ़ रहा है सिर्फ मैं दो योजनाओं की चर्चा कर के अपनी बात समाप्त कर दूंगा महोदय, एक योजना इसमें देखियेगा कि जो हमने इसमें सदन के सामने सदन पटल पर रखा है समग्र शिक्षा अभियान की योजना है । महोदय, शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री ने लीड डिपार्टमेंट होकर शिक्षा विभाग की मांग को पारित कराया है । इसमें दो हजार करोड़ रू0 महोदय, 2000 करोड़ रू0 हम सिर्फ इसलिए प्रावधानित कर रहे हैं कि केन्द्रांश जो केन्द्र सरकार को हमें समय पर देना था इन्होंने नहीं दिया है और इसी के तहत हमारे सभी शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान होता है तो हमारे शिक्षकों के वेतन का भुगतान ससमय होता

रहे इसलिए राज्य सरकार अपने संसाधन से केन्द्र का भी हिस्सा लगाकर उसका हमलोग 2000 करोड़ रू0 हमलोग इसमें कर रहे हैं और केन्द्र सरकार की नाइंसाफी देखिये महोदय और आज जिस आका के कहने पर ये लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, सदन का बहिष्कार कर रहे हैं आखिर यही चीज तो कल थी । कल इनके सामने जब बात हुई थी इनको कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन आज रात में जब इनको वहां से डांट पड़ी है, रात में जब इनकी फजीहत की गयी है कि तुम लोग क्यों चुप रहते हो ? आज इनके आका भी देश में घूम-घूमकर क्या-क्या बोल रहे हैं । अब समझ लीजिए, महिलाओं के उत्थान के लिए अगर पूरे देश में कोई एक व्यक्ति जाना चाहता है, कोई एक मॉडल चलता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आता है और मॉडल नीतीश चलता है । महोदय, उसी तरह से जरा देखिए । एक अमृत योजना चलती थी । ये लोग अटल जी के नाम को भी बदनाम कर दिये हैं । अटल जी के नाम पर एक शहर में उसके पुनर्जीवित करने की योजना बनाया उसका नाम था अमृत-1 अब शुरू कर दिया अमृत-2 । फर्क समझ लीजिए, कि पहले अमृत-1 में 2:1 का रेशियो था मतलब दो हिस्सा उनको देना था और एक हिस्सा राज्यों को देना था । अभी जो दो अमृत-2 लागू किया है इनके आका ने । अब क्या कर दिया है अब उसको ठीक पलट कर 1:2 कर दिया है । मतलब अब वे एक हिस्सा देंगे और दो हिस्सा हमलोगों का रहेगा और नाम कहलायेगा कि यह केन्द्र सरकार की योजना है । अब समझिये राज्यों के साथ कितनी महोदय नाइंसाफी हो रही है । हमलोगों ने कितनी बार आवाज उठायी है कि योजना आपकी, नाम आपका, तरीका आपका और संसाधन राज्य का । अब इसके कारण जो हुआ है वह अब 400 करोड़ रूपया दिये हैं हमको लगना था 200 करोड़ और अब 800 करोड़ देना पड़ रहा है । अब समझ लीजिए 600 करोड़ रूपया जबरदस्ती का जो लग रहा है यह हमलोगों को इसी सप्लीमेंटरी में डालना पड़ रहा है । इसलिए राज्यों को वित्तीय दबाव में रखने के लिए, अपनी मनमानी चलाने के लिए केन्द्र सरकार लगातार राज्यों के साथ नाइंसाफी करके संघीय व्यवस्था पर प्रहार कर रही है । हमलोग इसका पूर्ण विरोध करते हैं कि यह तरीका

बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और बेमतलब का राजनीतिक लाभ लेने के लिए देख लीजिए । आज क्या है ? आज आखिर उनके वॉकआउट करने का क्या कारण है ? हमने तो बाहर भी कहा है कि महोदय, यह कोई मुख्यमंत्री के बयान की बात नहीं है । बयान तो इन्होंने वापस ले लिया, इसके तीन कारण है । सिर्फ तीन कारण है, एक तो देखा कि सवा लाख से ज्यादा लोगों को एक साथ नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया गया और 70 हजार का विज्ञापन निकल गया । जातीय गणना जिसकी सफलता से इनका सिर चक्करा रहा है, पूरे देश से डिमांड आ रहा है, वह सफल हो गया । महोदय, तीसरा कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति इनके उत्थान के लिए आरक्षण की सीमाओं को जो बढ़ा दिया गया है यह देखकर समझिये पूर्ण रूपेण यह राजनीतिक रूप से विचलित हो गये । किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो गये हैं । कुछ नहीं सूझता है तो सदन में महोदय आप ही देखते हैं । ये कुर्सियां फेंकने के लिए आप रखते हैं क्या ? कुर्सियां जैसे फेंकते हैं जैसे किसी का सिर फोड़ देंगे ये लोग । महोदय, यहां आपने देखा है, मैं बैठा था आपके कक्ष में जिस समय आपके सुरक्षा प्रहरी लोग जमा होकर आये थे कहने के लिए, ये लोग जब सदन की सम्पत्ति को बचाते हैं, कुर्सी-टेबल को चलाने से रोकते हैं तो जो माननीय सदस्य पीछे रहते हैं, जूते से, चप्पल से, पैर से, हाथ से सुरक्षा प्रहरी की पीठ पर प्रहार करते हैं । यह कौन सा संसदीय जनतंत्र है । महोदय, आप सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग देख लीजिए, आपके साथ ज्यूडिशयल ऑफिसर भी है । सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि सदन के अंदर भी जो कुर्सियां हैं, जो मेजे हैं ये सरकार की सम्पत्ति हैं । इनको कोई नुकसान होता है, आप अपनी बात कह सकते हैं लेकिन सरकारी सम्पत्ति का अगर कोई नुकसान होता है, कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, मेजे तोड़ी जाती हैं तो इसके लिए सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली दफा के तहत केस दर्ज हो सकता है । यह उच्चतम न्यायालय का फैसला है इसलिए महोदय हम तो अपील करेंगे कि आप उसको दिखवा लीजिए और सदन को सुसंचालित करने में आखिर इन सब चीजों का उपयोग करना भी हमलोगों के हिसाब से आपका दायित्व है, उसको जरूर

दिखवा लीजिए । महोदय, और अंत में यह हमने सिर्फ बिहार की जनता के हित के लिए, उनके लिए योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए यह अनुपूरक राशि हमने मांगी है 51 मांगों के तहत, मुझे पूरी उम्मीद है और सदन से दरख्वास्त है कि इसे पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

टर्न-8/मधुप/08.11.2023

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा (सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या-5 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 08 नवम्बर, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 64 (चौसठ) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण को भी भेज दिया जाय ।

अध्यक्ष : सदन चलाने के लिए आसन को जिन सदस्यों ने सहयोग किया है और जिन्होंने सदन को चलाने में विध्न-बाधा पैदा करने का काम किया है...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सदस्य अपना शून्यकाल पढ़ना चाह रहे थे और हंगामा के कारण नहीं पढ़ सके, उनको अनुमति देकर आप स्वीकृत कर दीजिए ।

अध्यक्ष : मैं वही कह रहा हूँ । जो शून्यकाल आज के लिए स्वीकृत हुये हैं उन्हें पढ़ा हुआ माना गया । कार्रवाई के लिए विभाग को भेज दिया जायेगा । जो आज आपका ध्यानाकर्षण होगा उसको भी विभाग में भेज दिया जायेगा ।

<u>पढ़ी हुई मानी गयी शून्यकाल की सूचनाएँ</u>

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, अभियन्ताओं की कमी को ध्यान में रखते हुए मानदेय पर नियुक्त वेयर फुट टेक्नीशियन (Bare Foot Technicial) BFT की सेवा को BRDS से जोड़ कर उन लोगों को 20,000/- (बीस हजार) रूपया प्रतिमाह मानदेय देने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय स्कीम के तहत कार्यरत कर्मी - आंगनबाड़ी, आशा और रसोइयाँ को केन्द्रीय कर्मचारी भारत सरकार घोषित करे और उन्हें इस कमर तोड़ महंगाई में भरण-पोषण के लिए सम्मानजनक मासिक वेतन दे ।

अतः इस आशय का सामूहित प्रस्ताव केन्द्र को भेजें । यह मैं माँग करता हूँ ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, 29 सितंबर 2023 से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका का वेतन 25 हजार और सहायिकाओं का वेतन 18 हजार रुपये प्रतिमाह कर सरकारी

कर्मी का दर्जा देने एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करने की मांग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर प्रखण्ड के आदमपुर, कल्याणगाव, माधेपुर, तेलता, बालूगंज, डेंगराहा तक की ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क 2019 से ही जर्जर है । विभाग द्वारा पुनर्निर्माण हेतु राशि आवंटन के बावजूद पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है । मैं अविलम्ब द्रुतगति से सड़क के पुनर्निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, पटना जिला अंतर्गत प्रखण्ड फुलवारी शरीफ के पटना नगर निगम के वार्ड नं0-32 में राम कृष्णा नगर- राधे कृष्ण मंदिर से रामाश्रय चौक होते हुए देवी स्थान जगनपुर तक पक्की रोड निर्माण की मांग सदन से करता हूँ ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड-आमस के ग्राम-समशेरखाप में जमींदार धीरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा वर्ष-1960 में महिला महाविद्यालय निर्माण हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम साढ़े चार एकड़ भूमि बजरीय केवाला किया गया, वर्तमान में दबंगों द्वारा भूमि का अवैध जमाबंदी करा दिया गया।

अत: अवैध जमाबंदी को रद्द कराने की मांग करती हूँ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, प0 चम्पारण के योगापट्टी अंचल योगापट्टी अंतर्गत पंचायत राज सिसवा, मंगायपुर, जरलपुर, खुटवनिया, ढ़ाढ़वा तथा चौमुखा के परिवारों को जान-माल व फसल की क्षति से बचाने के लिए सुरक्षा बांध बनवाने की मांग जल संसाधन विभाग से करता हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका हड़ताल पर है। सरकार नेताओं से वार्ता के बजाय बिहार के सभी नेतृत्वकारी सेविकाओं का चयन रद्द करने का पत्र जारी किया है। मैं आंगनबाड़ी सेविका को 25000 एवं सहायिका को 18000 मानदेय देने एवं चयन रद्द का पत्र वापस लेने की मांग करता हूँ ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखण्ड में खरखरी और मोहगोर टोला के बीच डोक नदी पर पुल नहीं रहने के कारण प्रत्येक दिन सैंकड़ों आदमी को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: मैं उक्त स्थान में डोक नदी पर पुल निर्माण करवाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर स्वच्छता पर्यवेक्षक कार्यरत हैं । सरकार के स्वच्छ ग्राम के संकल्प में इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है । स्वच्छता पर्यवेक्षक को मानदेय 20000 और स्वच्छता कर्मी को मानदेय 10000 रुपये देने की मांग करता हूं ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, बिहार दफादार चौकीदार पंचायत में पूर्व सेवानिवृत तथा सेवानिवृत होने वाले के आश्रितों की बहाली हेतु बिहार सरकार अध्यादेश लाकर आश्रितों की बहाली का प्रावधान तथा दिनांक-25.02.2023 के पूर्व की तरह जिलाधिकारी को पुन: चयन के लिए अधिकृत करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, बांका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखंड के काठबनगांव बिरबलपुर पंचायत के ग्राम हसाय से ललसहिया गांव तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क कच्ची है, बरसात के दिनों में लगभग आधा दर्जन गांवों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ।

अत: जनहित में अविलंब सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, जिला मधेपुरा के मुरलीगंज थाना अन्तर्गत दिनांक-23.10.2023 को कॉ0 राजेश हसंदा की हत्या भूमाफियाओं द्वारा कर दी गयी थी जिसका थाना कांड संख्या-451/23 है ।

अत: मैं सरकार से मृतक के आश्रितों को बीस लाख रुपये मुआवजा, सुरक्षा एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा अंतर्गत बरिऔल से बिरौल, कलिगांव होते हुए भरवारा तक जाने वाली बरिऔल बिरौल कलिगांव भरवारा सड़क अत्यंत जर्जर होने की वजह से हजारों लोगों को प्रतिदिन आवागमन में कठिनाई होती है । सरकार से इस सड़क निर्माण करने की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, जहानाबाद जिला के रतनी प्रखण्ड अन्तर्गत नेहालपुर पंचायत का हड़हर नाला में पुल निर्माण कराकर दोनों तरफ निर्मित सड़क का संपर्क स्थापित करने की मांग करता हूं ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत कोषागार चिन्हित शिक्षकों का 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के बकाया अंतर वेतन का आवंटन उपलब्ध कराकर सरकार से बकाये वेतन का भुगतान कराने की मांग करता हूं ।

श्री राजवंशी महतो : महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत दामोदरपुर पंचायत के बसही ग्राम को तियाय ओ0पी0 से भगवानपुर थाना में जोड़ा जाय, क्योंकि तियाय ओ0पी0 से ग्राम की दूरी काफी अधिक है ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त ग्राम को भगवानपुर थाना में जोड़ा जाय ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : बिहार सरकार द्वारा साजिश के तहत जातीय जनगणना में वैश्य समाज की 56 उप जातियों की आबादी घटाकर प्रकाशित किया गया है । अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन सहित सभी वैश्य संगठन आंदोलनरत है ।

सरकार शीघ्र त्रुटि का निराकरण कर वैश्य समाज सहित अन्य वर्ग का संशोधित रिपोर्ट प्रकाशित करे ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : मदरसा 339+2 सरकार की सारी शर्तों को पूरा करता है । विशेष निदेशक के आदेश पर डी0ई0ओ0 द्वारा जांच प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड को समर्पित किया जा चुका है ।

सरकार से मांग करता हूं कि जो मदरसा सारी शर्तों को पूरा करते हैं ऐसे मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाया जाय ।

श्री विद्या सागर केशरी : अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा के सुभाष चौक रेलवे क्रॉसिंग पर पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बाईपास ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है एवं आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । यथाशीघ्र ओवरब्रिज निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : रोहतास जिला के काराकाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बिक्रमगंज रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरी पुल (आर0ओ0बी0) का निर्माण कार्य कराने संबंधी मांग करता हूं ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : सिहेश्वर विधान सभा के सिहेश्वर शर्मा चौक से शांतिवन गली होते हुये सुखासन सीमा तक पक्की रोड निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : बेगूसराय जिलान्तर्गत नगर परिषद्, तेघड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के समय जलजमाव की समस्या बनी रहती है, जिससे आमजनों को अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: मैं जलजमाव की समस्या का स्थायी निदान कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : जातीय गणना के क्रम में हुये सामाजिक, आर्थिक सर्वे के अनुसार भूमि संबंधी मालिकाना स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करने के साथ डी0 बन्धोउपाध्याय भूमि सुधार आयोग की सिफारिश लागू करने और भूमिहीन गरीबों के बीच आवासीय भूमि वितरण करने की मांग करता हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : दरभंगा जिलान्तर्गत हायाघाट प्रखंड के मकसूदपुर ग्राम में दिनांक 16.10.2023 को जहरीली शराब से तीन व्यक्ति मर गये और दो लोग घायल हो गये, जिसमें हायाघाट थाना में एफ0आई0आर0 संख्या 163/23 दर्ज है । उक्त मृतक परिवार को मुआवजा नहीं मिला है । उन्हें मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार : महोदय, सरकार द्वारा पूर्व में दिये गये मुखिया के अधिकार को बहाल करते हुए ग्राम सभा में पारित निर्णय का अनुपालन चयनित योजनाओं को प्राथमिकता, जन्म प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकार भवन निर्माण में एल0ई0ओ0 को समाप्त कर फिर से ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन करने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों को प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन अप्रैल, 2021 के प्रभाव से लागू किया जाय । ये 24 घंटे सेवा देते हैं । कस्तूरबा विद्यालय के कर्मियों को 60 वर्ष सेवा विस्तार और विभिन्न अवकाश की सुविधा देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, गया जिला के वजीरगंज थाना निवासी नाबालिग छात्रा सिमरन कुमारी, पिता पप्पू साव को दिनांक-18.10.2023 को अपराधियों ने अगवा कर नृशंस हत्या कर दी जिसका कांड संख्या-629/23 है ।

अतः घटना में शामिल सभी अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, राज्य में शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की रजिस्ट्रेशन बी0पी0एस0सी0 द्वारा शुरू कर दी गयी है । बी0पी0एस0सी0-1 की तर्ज पर इस बार भी बी0पी0एस0सी0-2 में सी0टी0ई0टी0 अपेयरिंग छात्रों को भी परीक्षा में सम्मिलित करने संबंधी मांग करता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिलांतर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत-कोशकापुर दक्षिण, वार्ड नं0-1 में लच्छा धार के दोनों ओर धनी आबादी में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना से निर्मित सड़क में ब्रीज गैप है । उक्त ब्रीज गैप में लच्छा धार में पुल निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : महोदय, बिगड़ती हुई विधि-व्यवस्था को देखते हुए रोसड़ा को जिला बनाने की मांग करता हूं जिससे आम नागरिक अमन-चैन एवं शांति के माहौल में जी सके ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, बिजली विभाग में 10 वर्षों से कार्यरत बिजली कर्मियों के कठोर परिश्रम से बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो गयी है । 8800/- वेतन से इनका गुजारा नहीं हो पाता है । ठेका प्रथा को बंद कर सरकारी कर्मी का दर्जा, 30 हजार वेतन, पेंशन इत्यादि लागू करने की मांग करता हूं ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण कार्य पूर्णरूपेण घटिया एवं स्टीमेट के अनुसार नहीं हो रहा है । गुणवत्ता का अभाव है ।

अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारडीह के भवन निर्माण कार्य की जांच कर संवेदक एवं विभाग के विरूद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत लहेरियासराय थाना अंतर्गत क्षेत्र के बेलवागंज से विक्की कुमार 11 अक्टूबर से लापता, पुलिस का कहना है उसकी हत्या हो गई परन्तु लाश नहीं मिली, 01 नवम्बर को रात्रि सदर थाना के जीतेश कुमार मिश्र की हत्या कर दी गई, अविलंब दोनों कांडों के उद्भेदन की माँग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित बिहार के मुखिया, वार्ड सदस्य तथा समिति सदस्यगण अपनी माँगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित है ।

अतः मैं सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों का वेतनमान बढ़ाने की माँग करता हूँ ।

श्री मो० कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के कौआकोल प्रखंड स्थित कदहर मोड़ में आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस पिकेट बनाने की माँग करता हूँ ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से भागलपुर के पीरपैंती एवं कहलगाँव प्रखण्ड अंतर्गत सभी इंटरस्तरीय +2 उच्च विद्यालयों में विषयवार पर्याप्त शिक्षकों के नियुक्ति करने की माँग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलांतर्गत निर्माणाधीन वाराणसी-कोलकता एक्सप्रेस-वे के लिए एन०एच०ए०आई० के द्वारा किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा बाजार दर से काफी कम दिया जा रहा है जिससे उनमें असंतोष है ।

अतः मैं सरकार से बाजार दर पर मुआवजा दिलाने की माँग करता हूँ ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार शहर को बाढ़ से बचाव हेतु रिंग बाँध का निर्माण वर्षों पूर्व हुआ है । तटबंध पर आवागमन हेतु अवस्थित अभी पथ की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे बाढ़ के समय प्रमण्डल द्वारा गश्ती भी नहीं हो पाती है ।

अतः तटबंध में पूर्व निर्मित पथ का सुदृढ़ीकरण सरकार जल्द करावे ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत बिहिया थाना कांड संख्या-154/2023 के आरोपी सुदामा यादव उर्फ लंगडा की अविलम्ब गिरफ्तारी तथा मृतक युवा व्यवसायी कुमार मनोहर उर्फ मिंची यादव के परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा देने की माँग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत बासोपट्टी प्रखंड के बासोपट्टी पूर्वी बाजार में हनुमान मंदिर से लेकर भगवती गहवर चौक तक की सड़क अत्यंत जर्जर है ।

प्रधानमंत्री सड़क योजना मद से निर्मित इस सड़क की मरम्मति शीघ्र कराने की माँग करता हूँ ।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, गया शहर सहित बिहार में सड़क जाम की समस्या से आम जनता परेशान है । शहरों में नगर निकाय के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है । फ्लाईओवर निर्माण बीस फीट सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की जरूरत है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर वार्ड सदस्य और पंच का चुनाव जनता द्वारा किया गया है परन्तु इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिस कारण जनता का कोपभाजन होना पड़ता है । उनके वार्ड के छोटे-छोटे कार्य हेतु अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह कोष मुहैया कराने का सरकार से माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का वक्तव्य- परिशिष्ट द्रष्टव्य)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से शिक्षा विभाग को राशि प्रावधानित करने हेतु आपके माध्यम से सदन से अनुरोध कर रहा हूँ। आप परिचित है कि बिहार सरकार शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारा मानव संसाधन सुशिक्षित, समर्थ हो ताकि यहाँ के युवा छात्र–छात्रा राज्य में, देश में एवं देश के बाहर बेहतर भूमिका अदा कर सकें।

राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों–बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है। बजट के लगभग 22% या उससे अधिक तक शिक्षा पर व्यय से बिहार को नई पहचान मिली है। लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हमें लगातार काम करने की जरूरत है।

द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 में शिक्षा विभाग के लिए स्कीम एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत विभिन्न मदों में द्वितीय अनुपूरक आगणन से कुल 7669.85 (सात हजार छः सौ उनहतर करोड़ पचासी लाख रूपये) प्रावधानित करने का प्रस्ताव उपस्थापित है जिसमें से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 4263.39 करोड़ (चार हजार दो सौ तीरसठ करोड़ उनचालीस लाख रूपये) एवं राज्य योजना अंतर्गत 3406.46 करोड़ (तीन हजार चार सौ छः करोड़ छियालीस लाख रूपये) जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गतः–

1. राज्य में अवस्थित विभिन्न विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि एवं पेंशनादि मद में 2707.18 करोड़ (दो हजार सात सौ सात करोड़ अठारह लाख रूपये) सहायक अनुदान मद का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण में राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त शिक्षकों के वेतनादि हेतु 1200.00 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़ रूपये) एवं विद्यालयों/संस्थानों में पूर्व से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि मद में 1223.85 करोड़ (एक हजार दो सौ तेईस करोड़ पचासी लाख रूपये) का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

3. प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार हेतु 75.00 करोड़ (पचहत्तर करोड़ रूपये), शौचालय निर्माण/मरम्मति हेतु 60.26 करोड़ (साठ करोड़ छब्बीस लाख रूपये), प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में बेंच–डेस्क की आपूर्ति हेतु 70.00 करोड़(सत्तर करोड़ रूपये), विद्यालयों में रात्रि प्रहरी हेतु 21.27 करोड़ (एक्कीस करोड़ सताईस लाख रूपये), राज्य के विद्यालयों में अनुश्रवण व्यवस्था बनाने के लिए जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर परियोजना प्रबंधक/विधि क्लर्क आदि के मानदेय हेतु 17.02 करोड़ (सतरह करोड़ दो लाख रूपये), अर्थात् कुल 243.55 करोड़ (दो सौ तेतालीस करोड़ पचपन लाख रूपये) का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

4. विभिन्न निदेशालयों के कार्यालयी एवं विधि प्रभार मद में 4.60 करोड़ (चार करोड़ साठ लाख रूपये) का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

5. राज्य में अवस्थित विभिन्न पुस्तकालयों में मानव बल के मानदेय हेतु 0. 9880 करोड़ (अठानवे लाख अस्सी हजार रूपये), एवं डिजिटलाइजेशन आदि में 0.3630 करोड़ (छत्तीस लाख तीस हजार रूपये) एवं अन्यादि मदों में 69.62 करोड़ अर्थात् कुल 70.97 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत कुल 4263.39 करोड़ (चार हजार दो सौ तिरसठ करोड़ उनचालीस लाख रूपये) का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

राज्य योजना –

1. शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों में लाभुकों के खाते में Direct Benefit Scheme के द्वारा राशि उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निम्नांकित योजनाओं में राशि की आवश्यकता है–

(I) **मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना** हेतु राज्य योजना अंतर्गत 47.00 करोड़ (सैंतालीस करोड़ रूपये) राशि की आवश्यकता है।

(II) **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना** हेतु राज्य योजना अंतर्गत 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) राशि की आवश्यकता है।

(III) मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (वर्ग 1 से 8) हेतु राज्य योजना अंतर्गत 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रूपये) राशि की आवश्यकता है।

(IV) **मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना (सैनेटरी नैपकिन)** हेतु राज्य योजना अंतर्गत 37.46 करोड़ (सैंतीस करोड़ छियालीस लाख रूपये) राशि की आवश्यकता है।

(V) **बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** हेतु राज्य योजना 65.00 करोड़ (पैंसठ करोड़ रूपये) राशि की आवश्यकता है।

(VI) **मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना (सात निश्चय)** हेतु 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़ रूपये) राशि की आवश्यकता है।

(VII) **मुख्यमंत्री प्रोत्साहन/छात्रवृति योजना** हेतु राज्य योजना अंतर्गत 53.00 करोड़ (तीरपन करोड़ रूपये) राशि की आवश्यकता है।

(VIII) **मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना (सात निश्चय)** हेतु 150.00 करोड़ (एक सौ पचास करोड़ रूपये) राशि की आवश्यकता है।

इस प्रकार उक्त स्कीमों के तहत लाभुकों के खाते में Direct Benefit Scheme के माध्यम से कुल **732.46 (सात सौ बतीस करोड़ छियालीस लाख रूपये)** उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

2. समग्र शिक्षा अभियान (प्रारम्भिक) हेतु राज्य योजना अंतर्गत प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतनादि व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अन्तर्गत कम राशि प्राप्त होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2000.00 करोड़ (दो हजार करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

3. राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण एवं कम्प्यूटराईजेशन मद में 125.00 करोड़ (एक सौ पचीस करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

4. राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए राज्य योजना अंतर्गत वर्तमान 125.00 करोड़ (एक सौ पचीस करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

5. प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उपस्कर मद में राज्य योजना अंतर्गत 60.00 करोड़ (साठ करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

6. मध्याह्न भोजन योजना (राज्य योजना) अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

7. शिक्षा विभाग का आधुनिकीकरण के लिए राज्य योजना अंतर्गत 5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

8. महादलित अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग योजना अन्तर्गत टोला सेवक के मानदेय आदि के लिए 250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

9. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं रात्रि प्रहरी के मानदेय हेतु 2.00 करोड़ (दो करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

10. उच्च शिक्षा अन्तर्गत चाणक्या विधि विश्वविद्यालय एवं एल०एन० मिश्रा आर्थिक एवं सामाजिक संस्थान में निर्माण कार्य हेतु 2.00 करोड़ (दो करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

11. शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार मद में राज्य योजना अन्तर्गत 5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रूपये) की राशि का द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार उक्त स्कीमों के तहत राज्य योजना मद में **कुल 3406.46 करोड़ (तीन हजार चार सौ छः करोड़ छियालीस लाख रूपये)** उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

सदन से मेरा अनुरोध है कि अनुपूरक व्यय के उक्त प्रस्ताव को पारित किया जाए एवं बिहार की शिक्षा के विकास में किये जा रहे प्रयासों के प्रति सकारात्मक समर्थन व्यक्त किया जाए।

****